नाम	-	डॉ. मोती लाल शाकार
महाविद्यालय का नाम	-	दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
संकाय	-	कला
पदनाम	-	सहायक प्राध्यापक
विषय	-	भाषाविज्ञान
शीर्षक	-	भाषा के विविध रूप

भाषा के विविध रूप

डॉ. मोती लाल शाकार
सहायक प्राध्यापक
भाषाविज्ञान विभाग
दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर

जो ध्वनि-संकेत मुख से निःसृत होते हैं उन सभी को प्रायः भाषा कहकर पुकारा जाता है, किन्तु भाषाविज्ञान की दृष्टि से सभी ध्वनि-संकेत भाषा नहीं कहलाते। उनके पृथक् पृथक् नाम दिये जाते हैं और उनका समाज में पृथक् पृथक् व्यवहार भी देखा जाता है। यही कारण है कि एक ही 'भाषा' शब्द से इंगित ध्वनि-संकेतों की समष्टि को भाषावैज्ञानिकों ने विविध नाम दिये हैं, जो भाषा के विविध रूपों के द्योतक हैं। 'भाषा' के ये विविध रूप इस प्रकार मिलते हैं-

बोली- किसी सीमित क्षेत्र की उस उपभाषा को 'बोली' कहते हैं, जो उस क्षेत्र के निवासियों की स्वभावतः घरेलू बोलचाल की भाषा होती है, उच्चारण लगभग एक-सा होता है, जो केवल वक्ताओं के मुखों तक ही सीमित रहती है, जो तनिक भी साहित्यिक नहीं होती और जिसकी रूप-रचना में स्थानीय भेद स्पष्ट विद्यमान रहता है, क्योंकि वह अपनी समीपवर्ती बोली से भी भिन्न होती है। प्रायः किसी एक भाषा की कितनी ही बोलियाँ होती हैं। इसलिए बोली को किसी भाषा की इकाई कह सकते हैं। एक बोली अपनी निकटस्थ बोली से स्पष्ट ही भित्र सुनाई पड़ती है। जैसे, हिन्दी भाषा की 'ब्रज' और 'खड़ी' दोनों बोलियाँ पास-पास बोली जाती हैं, परन्तु दोनों में बड़ा अन्तर हो जाता है। जैसे, हिन्दी के 'हे भाई, तू कहाँ गया?' वाक्य को ब्रज बोली में 'अरे भय्या, तू कहाँ गयो' कहेंगे और उसी की समीपवर्ती खड़ी बोली में

'ये भय्ये, तू काँ गा' कहेंगे। इसी कारण जो० वान्द्रियैज ने ठीक ही कहा है कि 'निजी उच्चारण व पद-रचना के कारण बोली का अपना अस्तित्व होता है और वह वक्ता की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों से स्वतन्त्र होती है।। भाषा विज्ञान-कोष में भी किसी स्थान विशेष के निम्नवर्गीय अशिक्षित लोगों की बोल-चाल में प्रयुक्त भाषा को 'बोली' कहा गया है। यह बोली स्थानीय व्यक्तियों को पूर्णतया आयोजित रूप में प्राप्त होती है, वे साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अथवा अपने वैयक्तिक गुणों की अभिव्यक्ति के लिए बोली का ही प्रयोग किया करते हैं। इसीलिए एक ब्रज प्रदेश का निवासी अपने घर में ब्रजबोली, अवध प्रदेश का रहने वाला अपने घर में अवधी, वाराणसी जनपद का रहने वाला अपने घर में भोजपुरी बोली तथा मेवात का रहने वाला अपने घर में मेवाती बोली का प्रयोग करता है। इन विविध बोलियों के तुलनात्मक अध्ययन से उन बोलने वाली जातियों के मनोविज्ञान का अनुशीलन बड़ी सरलता एवं सुगमता से किया जा सकता है।

विभाषा- जब कोई बोली धार्मिक श्रेष्ठता अथवा भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रान्त या उपप्रान्त में प्रचलित हो जाती है, तब उसे 'विभाषा' या 'उपभाषा' कहा जाता है। भाषाविज्ञान-कोश में 'विभाषा' को Dialect कहा गया है और उसकी परिभाषा करते हुए लिखा है कि किसी भाषा के उस विशिष्ट रूप को विभाषा कहते हैं, जो किसी प्रदेश-विशेष अथवा भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाती है, जो अपने उच्चारण, व्याकरण सम्बन्धी रूप और शब्द प्रयोग की दृष्टि से अन्य परिनिष्ठित अथवा साहित्यिक भाषाओं से भिन्न होती है, परन्तु इतनी भिन्न नहीं होती कि उसे किसी एक भाषा की अन्य विभाषाओं से बिल्कुल भिन्न माना जाय। साधारणतया भौगोलिक राजनीतिक एवं ऐतिहासिक कारणों से किसी एक प्रदेश या उपप्रदेश में प्रयुक्त लोक-व्यवहार की भाषा को 'विभाषा' कह सकते हैं। इस दृष्टि से भारत में प्रचलित ब्रज, अवधी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, मराठी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, उड़िया आदि सभी 'विभाषाएँ' हैं।

<u>परिनिष्ठित भाषा</u> -- जब कोई विभाषा अपने एक सुव्यवस्थित व्याकरण के साथ सभ्य एवं शिक्षित वर्ग के दैनिक व्यवहार एवं साहित्य-रचना में प्रयुक्त होने लगती है, तब उसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। इसे 'टकसाली भाषा' भी कहा जाता है। डॉ० श्यामसुन्दर दास ने लिखा है कि 'कई विभाषाओं में व्यवहृत होने वाली एक शिष्ट-परिगृहीत विभाषा ही भाषा (राष्ट्रीय भाषा अथवा टकसाली भाषा) (Language of Koine) कहलाती है।' भाषाविज्ञान कोश में लिखा है कि 'किसी भाषा की उस विभाषा को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं, जो अन्य विभाषाओं पर अपनी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित कर लेती है, और उन विभाषाओं के बोलने वाले भी उस भाषा को सर्वाधिक उपर्युक्त समझने लगते हैं|

<u>राज्यभाषा</u>- जो भाषा किसी राज्य के सरकारी कार्यों में सर्वाधिक प्रयुक्त होती है, उसे 'राज्यभाषा' कहते हैं। 'राज्यभाषा' में केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारें अपने पत्र-व्यवहार किया करती हैं सरकारी आदेश एवं आज्ञाएँ भी इसी भाषा में मुद्रित होती हैं और केन्द्र एवं प्रदेशों के मध्य सम्पर्क स्थापित करने का कार्य भी इसी भाषा के द्वारा होता है। राज्यभाषा सदैव देश में शासनात्मक ऐक्य की स्थापना में बड़ी सहायता पहुँचाती है। भारत में पहले संस्कृत राज्यभाषा रही, फिर आभीरों की राज्य-सत्ता स्थापित होने पर प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषाएँ राज्य भाषा हो गयीं, फिर मुसलमानों के शासन काल में फारसी को राज्यभाषा का गौरव प्राप्त हुआ, फिर अंग्रेजी की सत्ता स्थापित होते ही अंग्रेजी ने यहाँ पर राज्यभाषा का स्थान ग्रहण कर लिया और भारत के स्वतन्त्र होते ही हिन्दी को राज्यभाषा घोषित किया गया। आज भारत का अधिकांश राज्य कार्य हिन्दी के माध्यम से होता है। भारत एक विशाल राष्ट्र है। यहाँ अनेक प्रदेश हैं और सभी प्रदेशों की भाषाएँ पर्याप्त समृद्ध एवं विकसित हैं। परन्तु सभी प्रदेशों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए केन्द्र ने हिन्दी को ही राज्यभाषा के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि

हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है, जिसे भारत के साठ प्रतिशत निवासी बोलते एवं अच्छी तरह समझते हैं।

राष्ट्रभाषा- जो भाषा किसी राष्ट्र के भिन्न-भिन्न भाषाभाषियों के पारस्परिक विचार-विनिमय का साधन बनती हुई समूचे राष्ट्र को भावात्मक एकता के सूत्र में बाँधती है, उसे 'राष्ट्रभाषा' कहते हैं। वैसे किसी भी राष्ट्र में प्रचलित सभी भाषाएँ राष्ट्रीय भाषाएँ होती हैं, परन्तु प्रत्येक समृद्धशाली राष्ट्र की कोई एक भाषा ही 'राष्ट्रभाषा' के नाम से अभिहित की जाती है, क्योंकि वह भाषा उस राष्ट्र की प्रतीक होती है, उसी को विदेशी राष्ट्रों में सम्मान दिया जाता है, उसी में सारे राष्ट्र की अन्तर्रात्मा विद्यमान रहती है और उसी को उस राष्ट्र के नाम से अन्य देशों में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, भारत में बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी, बिहारी, उड़िया, तमिल, कन्नड़, मलयालम आदि अनेक समृद्ध एवं उन्नत भाषाएँ प्रचलित हैं; परन्तु भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने हिन्दी भाषा को 'राष्ट्रभाषा' के महत्वपूर्ण पद पर आसीन किया और संविधान में इसकी घोषणा करके हिन्दी को सम्पूर्ण भारत राष्ट्र की प्रतिनिधि एवं प्रतीक भाषा के रूप में अंगीकार किया। आज यह हिन्दी भाषा राष्ट्रभाषा के गौरवमय पद को ग्रहण करके बंगला, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलगू, कन्नड़, मलयालम आदि सभी भाषाओं के क्षेत्रो में विचार-विनिमयका साधन बनी हुई है, समूचे राष्ट्र को भावात्मक एकता के सूत्र में बाँध रही है और सभी स्थानों पर पारस्परिक सम्पर्क स्थापित करने में भी सहायता प्रदान कर रही है। आज राजनीतिक अधिवेशनों, धार्मिक सम्मेलनों, साहित्यिक गोष्ठियों एवं सामाजिक समारोहों में इसी राष्ट्रभाषा हिन्दी को विचारों के प्रकट करने के लिए अपनाया जाता है, भारत के अन्य भाषाभाषी भी इसी भाषा में सुगमता से विचारों का आदान-प्रदान करते हैं और अधिकांश पत्र -पत्रिकाओं, सामाजिक विज्ञापनों, चल-चित्रों आदि में सर्वाधिक इसी भाषा का प्रयोग हो रहा है।

अतः हिन्दी आज भारत राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रही है, विदेशों में हमारे राजदूत भी इसी राष्ट्रभाषा में अपने प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं और विदेशी राष्ट्र भी इसी भाषा को स्वतन्त्र भारत-राष्ट्र की प्रतीक भाषा मानते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय भाषा- जो भाषा विभिन्न राष्ट्रों के बीच विचार-विनिमय, पत्र-व्यवहार आदि का माध्यम होती है, वह 'अन्तर्राष्ट्रीय भाषा' कहलाती है। इस भाषा का प्रयोग प्रायः अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में होता है, क्योंकि जहाँ विविध राष्ट्रों के विभिन्न भाषाभाषी प्रतिनिधित्व एकत्र होते हैं, वहाँ पारस्परिक विचार-विनिमय के लिए किसी एक ऐसी परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो अधिकांश राष्ट्रों में प्रचलित होती है और जिसे विश्व के अधिकांश राष्ट्रों के प्रतिनिधि अपना लेते हैं। जैसे, आजकल अंग्रेजी भाषा एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में विख्यात है, क्योकि विश्व के अधिकांश राष्ट्रों की एकमात्र संस्था 'संयुक्त राष्ट्र संघ' में इसी भाषा के माध्यम से सर्वाधिक विचार-विनिमय होता है और इसी भाषा का जानना अब प्रत्येक राष्ट्र के राजदूत के लिए अपेक्षित होता है। अधिकांश राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना के लिए भी इसी अंग्रेजी भाषा का व्यवहार होता है, अन्तर्राष्ट्रीय समाचार इसी भाषा में प्रसारित किये जाते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार-व्यवस्था अथवा टेलीप्रिंटर आदि में भी इसी भाषा का प्रयोग सर्वाधिक होता है।

सारांश यह है कि पहले भाषा 'बोली' के रूप में केवल बोलचाल में ही प्रयुक्त होती है, फिर जब वह अधिकांश व्यक्तियों द्वारा व्यवहृत होने लगती है और उसका क्षेत्र भी किसी उपप्रान्त या प्रान्त तक विस्तृत हो जाता है, तब वह 'विभाषा' कहलाने लगती है। तत्पश्चात् व्याकरणों के नियमों से सुव्यवस्थित होकर तथा शिष्ट एवं शिक्षित जनों द्वारा अपना लिये जाने की वही विभाषा 'परिनिष्ठित भाषा' बन जाती है और साहित्यकारों के द्वारा साहित्य-रचना में अधिक व्यवहृत होने पर वह 'साहित्यिक भाषा' कहलाने लगती है इतना ही नहीं, जब कोई भाषा

विशिष्ट विशिष्ट वर्ग के कारीगरों, शिल्पियों, व्यावसायियों, विद्यार्थियों, कार्यकर्ताओं आदि के द्वारा प्रयुक्त होने लगती है, तब उसे 'विशिष्ट भाषा' कहा जाता है। जब कोई भाषा राज-काज में सर्वाधिक प्रयुक्त होने लगती है, तब वह 'राज्यभाषा' बन जाती है और जब कोई परिनिष्ठित एवं समृद्ध भाषा किसी एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने लगती है, तब वह 'राष्ट्रभाषा' कहलाती है। परन्तु जब कोई समृद्ध भाषा विविध राष्ट्रों के विचार-विनिमय का साधन बनती हुई अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर लेती है, तब उसे 'अन्तर्राष्ट्रीय भाषा' कहते हैं।